भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

रक्षा सम्पदा संगठन
DEFENCE ESTATES ORGANIZATION

कार्यालय छावनी परिषद दगशाई/Office of the Cantonment Board Dagshai

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Defence ,Govt. Of India

Office of the Cantonment Board Dagshai, Solan, HP-173210
Email-id: ceodags[hypen]stats[at]nic[dot]in
Website: dagshai.cantt.gov.in, Phone: 01792-266152

No. CBD/8/10/- 851 05th Oct, 2024

ठोस कचरे की ढुलाई हेतू ई–निविदा सूचना

सर्व जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ठोस कचरे की ढुलाई हेतू दो वर्ष के लिए प्रति चक्कर किराया आधार पर दगशाई से बद्दी तक वाहन चालक सहित, आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठित सेवाप्रदाताओं/ऐजेंसियों जिन्हें सरकारी कार्यालयों में वाहन की आपूर्ति करने/कचरे की ढुलाई का अनुभव है और इस निविदा सूचना के नियम एवं शर्तों का पालन करने का इच्छुक है, व दिनांक 21.10.2024 को 5.00 बजे तक या उससे पहले अपनी निविदायें आनलाइन जमा कर सकते है।

1. निविदा के साथ नियम व शर्तें (Annexure A), तकनीकी निविदा /बोली (Annexure B), BOQ Format में वितीय निविदा (Annexure C), निविदा स्वीकृति पत्र अनुलग्नक (Annexure D), संलग्न होने चाहिए । निविदा सूचना का विवरण केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) की वेबसाइट http://defproc.gov.in/ पर उपलब्ध है।

2. अनुबंध के आधार पर ठोस कचरे की ढुलाई दगशाई से बद्दी तक प्रति चक्कर पर किराया लिए वाले वाहन का विवरण :–

S.No.	Category of Vehicle	No of Vehicle Required	Usage	Estimated Amount Per Trip	EMD	Tender fees
1.	Mahindra Hydraulic Tipper	01 (One)	Pick & Drop Solid Waste from Dagshai to Baddi	Approx. Rs. 4500/- (18% GST Extra) (Approximate Rs. 7,02,000/- per year)	2% on Estimated amount i.e. Rs. 14040/-	Rs. 1000/-

3. दस्तावेज डाउनलोड :–

निविदा दस्तावेज केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) की वेबसाइट http://defproc.gov.in/ से डाउनलोड किये जा सकते है। इच्छुक सेवा प्रदाता/एजेन्सी जिन्होनें ई– प्रोक्योरमैंट में नामांकन/पंजीकरण नहीं करवा रखा है वे निविदा के माध्यम से भाग लेने के पूर्व नामांकन/पंजीकरण करवा लें। पोर्टल पर नामांकन मुफ्त है। निविदाताओं को CPPP पोर्टल पर दिये गये निर्देशों के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है।

4. निविदा प्रस्तुत करने एवं प्रसंस्करण की तिथियां निम्न प्रकार से है :–

Published Date	05-10-2024
Bid Document Download Start Date	05-10-2024
Bid Submission Start Date	05-10-2024
Bid Document Download End Date	21-10-2024
Bid Submission End Date	21-10-2024
Technical Bid Opening Date	22-10-2024
Financial Bid Opening date (Those bidders who have qualified in the Technical Bids)	Will be intimate to technically qualified firms

5. निविदा प्रस्तुत करना :–

निविदा केवल CPPP की वेबसाइट http://defproc.gov.in/ पर आनलाइन जमा की जायेगी।

1. निविदाकर्ता वेबसाइट पर, निविदा दस्तावेजों तक पहुंच सकते है एवं उसमें सभी संबंधित जानकारियां भर सकते है और पूर्ण निविदा दस्तावेज को इलेस्ट्रोनिक निविदा में http://defproc.gov.in/ वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते है।

2. निविदाओं एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को http://defproc.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जायेगा । निविदा दस्तावेजों की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. निविदाएं दो भागों में अर्थात् तकनीकी निविदा एवं वित्तिय निविदा में ऑनलाईन प्रस्तुत की जाएगी।

4. प्रस्तुत की जा रही निविदा के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। फैक्स या ईमेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

5. अमानत राशि (EMD)

निविदाकर्ता को निविदा के साथ अनुमानित राशि का 2% अमानत राशि **ई–छावनी** के माध्यम से छावनी परिषद कार्यालय दगशाई में जमा करवानी होगी, जिसकी रसीद की कॉपी तकनीकी निविदा के साथ खोलने की तिथि या उससे पूर्व अपलोड करनी होगी। यदि चयन प्रकिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तिय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाएं पाई गई या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी। असफल निविदादाता को चयन प्रकिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

Annexure 'A'

1. कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली–भांति कर्वड होगा ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े।

2. कचरे की ढुलाई के दौरान स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे के परस्पर मिश्रण नहीं करेगा।

3. सेवाप्रादाताओं/एजेंसियों को प्रत्येक सप्ताह में तीन बार कचरे की ढुलाई दगशाई से बद्दी (JBR Environment Technologies (Baddi) Pvt Ltd.) तक करनी होगी।

4. सेवाप्रादाता को एकल स्वामित्व/साझेदारी पंजीकृत फर्म/कम्पनी होना चाहिए और वाहन पंजीकृत होना चाहिए।

5. तकनीकी निविदायें संतोषजनक पाये जाने पर ही वित्तिय निविदायें खोली जाएगी । साथ ही L-1 में प्रस्तुत दर के आधार पर ही तय की जाएगी व इस संदर्भ में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा ।

6. निविदा दस्तावेजों में दिए गये सभी नियमों व शर्तो को पूर्ण करते हुए, मासिक आधार पर सबसे कम बोली लगाने वाले सेवाप्रादाता को अनुबंध दिया जाएगा। यह कार्यालय सुरक्षा के लिए, सफल सेवाप्रदाता द्वारा अपेक्षित संख्या में वाहन प्रदान करने में विफलता के विरूद्ध अन्य सेवाप्रादाताओं को जो L-1 (फर्म जिसने सबसे कम दरों पर वाहन किराये पर देना प्रस्तावित किया है), को समान नियमों एवं शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हो को सूचिबद्ध कर सकता है एवं अनुबंध कर सकता है।

7. यदि आवश्यक हुआ तो वाहन रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाशों सहित सभी दिनों में उपलब्ध करवाना होगा ।

8. सेवाप्रादाता द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वाहन चलाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

9. सेवाप्रादाता को तेनात किये जाने वाले वाहन चालकों के नाम, पते एवं मोबाइल नम्बर आदि संबंधित प्राधिकारी को बताने होंगे। इस कार्यालय में नियुक्त/तैनात किये जाने वाले चालकों के विरूद्ध पुलिस रिकार्ड में कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए तथा इस कार्यालय की सेवाओं के लिए तैनात करने से पूर्व वाहन चालकों के चरित्र की जानकारी/पूछताछ आदि सेवाप्रादाता को करनी होगी।

10. वाहन चालक को डयूटी समय में सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्हें निर्धारित वर्दी पहननी होगी तथा मोबाइल फोन रखना होगा जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. ड्यूटी पर तैनात वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये। लापरवाही से वाहन चलाने के लिए उन्हें दो से अधिक चालान किया हुआ नहीं होना चाहिए। सेवाप्रादाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनसे सम्पर्क स्थापित करने हेतू चौबीस घंटे सेवाएं देने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए, उनके पास पर्याप्त संख्या में मोबाईल/दूरभाष नम्बर होने चाहिए।

12. इस कार्यालय में बजट की उपलब्धता के अनुसार बकाया बिलों का भुगतान किया जायेगा, लेकिन वाहन मालिक द्वारा हर महीने की तारीख तक वाहन चालक को वेतन

का भुगतान करना होगा । बकाया बिलों के भुगतान में विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त राशि इस कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।

13. यह कार्यालय किसी भी चालान, हानि, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना या किसी अन्य वाहन के या अन्य वाहन के चालक या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । इस मामले में किसी भी तरह के नुकसान, क्षति या कानूनी खर्च के लिए सेवाप्रादाता ही जिम्मेवार होगा एवं सभी व्यय सेवाप्रादाता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

14. वाहन चालको को रोड और मार्गो की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार वाहन के संचालन की जानकारियां होनी चाहिए।

15. वाहन चालक को ड्यूटी अवधि के पूर्ण अवधि के दौरान वाहन के साथ रहना होगा । इस संबंध में यदि किसी तरह की आवश्यकता के मामले, तो संबंधित प्राधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

16. वाहन चालक को, वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस के जारी होने की तारिख से सत्यापित होना चाहिए।

17. कार्यसमय के दौरान वाहन के संचालन में किसी भी तरह के अवरोध होने पर सेवाप्रादाता उसके स्थान पर तुरन्त उसके समकक्ष अन्य वाहन की व्यवस्था करवानी होगी । ऐसे मामले में दगशाई से बद्दी तक के व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18. वाहन के अनुबंध की अवधि के दौरान, इस कार्यालय के अनुरोध के बिना तैनात किये गये वाहन चालक को बदला नहीं जाएगा।

19. तैनात किये गये वाहन चालकों के वेतन, भत्ते एवं सभी तरह के व्यय सेवाप्रादाता द्वारा वहन किये जायेंगें तथा वाहन से संबंधित सभी व्यय यथा बीमा, रखखाव, ईंधन आदि भी सेवाप्रादाता द्वारा ही वहन किये जायेंगें।

20. सेवाप्रादाता द्वारा विभाग में लगाए गए वाहन चालको की लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना या शारिरिक चोट/मृत्यु या सम्पति व सार्वजनिक सम्पति के नुकसान से सभी तरह के हर्जाना, शस्ति, क्षतिपूर्ति आदि की मांग के दावों के लिए सेवाप्रादाता उत्तरदायी होगा।

21. सेवाप्रादाता किसी भी दिन ड्यूटी के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करवाता या वाहन चालक देरी से ड्यूटी पर उपस्थित होता है या निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो प्रति दिन, अनुपातिक आधार पर गणना कर उतनी राशि उसके मासिक बिल से काट ली जाएगी तथा सेवाप्रादाता को इस तरह के प्रति मामले में प्रतिदिन प्रति वाहन रू 1000/– शस्ति लगाई जाएगी जो उसके मासिक बिल से काट ली जाएगी।

22. सम्पूर्ण अवधि के दौरान सेवाप्रादाता द्वारा निविदा/ अनुबंध के अनुसार मेक/मॉडल का वाहन उपलब्ध करवायेगा। इस कार्यालय द्वारा आपतकालीन एवं असाधारण परिस्थितियों में, इस शर्त में इा शर्त को अस्थायी रू‍प से छूट दी जा सकती है।

23. यदि सेवाप्रादाता निविदा/ अनुबंध के अनुसार वांछित गुणवता की सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो इस कार्यालय द्वारा 07 दिनों का नोटिस दे कर अनुबंध समाप्त किया जा

सकता है एवं अन्य समान सेवाप्रादाताओं को उन्हीं नियमों व शर्तों पर कार्य आदेश दिया जा सकता है।

24. आयकर अधिनियम की धारा 194 (सी) के नियमों के तहत, इस कार्यालय द्वारा मासिक बिलों में से देय आयकर की कटौती कर भुगतान किया जाएगा जिसका सेवाप्रादाता को इस आशय का उपयुक्त टीडीएस प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।

25. सेवाप्रादाता को पिछले माह के जी.एस.टी. का भुगतान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही जी.एस.टी. का भुगतान किया जाएगा।

26. असंतोषजनक सेवाओं के मामलें में, इस कार्यालय द्वारा समय पूर्व अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा ।

27. डीजल, ऑयल, स्पेयर पार्टस् आदि की दरों में परिवर्तन होने पर किराये की स्वीकृत दर अपरिवर्तित रहेगी।

28. अनुबंध की अवधि के दौरान जिन शर्तो/मामलों का उल्लेखित नहीं किया गया है, उन मामलों/शर्तो के संबंध में इस कार्यालय के समक्ष अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

29. इस कार्यालय द्वारा कोई भी सशर्त निविदायें स्वीकार नही की जाएगी, सशर्त निविदायें अस्वीकार कर दी जायेगी।

30. किसी भी प्रकार के विवाद में या किसी भी मामले अध्यक्ष, छावनी परिषद दगशाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

31. सेवाप्रादाता द्वारा कम से कम दो माह की अग्रिम सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

32. कचरे को वाहन में लोड व उतारने की व्यवस्था सेवाप्रदाताओं/एजेंसियों की होगी ।

मै/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो से सहमत हूँ/है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

मोहर ....

हिमांशु

मुख्य अधिशासी अधिकारी, दगशाई

(हिमांशु सामंत)